सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:–2024/238 दर्ज तिथिः–20.06.2024

1. पाबूराम पुत्र भैरा
2. मोडाराम पुत्र भैरा
3. लच्छाराम पुत्र भैरा
4. लूम्बाराम पुत्र भैरा
5. वीरो पत्नी भैराराम

   जाति कुम्हार निवासी खुडाला तहसील गुड़ामालानी

..................प्रार्थीगण

बनाम

1. वालाराम पुत्र हिमताराम के कायम मुकाम
   1/1 हेमाराम पुत्र वालाराम
   1/2 सुखाराम पुत्र वालाराम
   1/3 जगमालराम पुत्र वालाराम
   1/4 चैनाराम पुत्र वालाराम
   1/5 मोहन पुत्र वालाराम
   जाति कुम्हार निवासी खुडाला तहसील गुड़ामालानी
2. खेताराम पुत्र गंगाराम
   जाति जाट निवासी खुडाला तहसील गुड़ामालानी
3. उपवन संरक्षक वन विभाग बाड़मेर

.................असल अप्रार्थीगण

4. तहसीलदार गुड़ामालानी

................तरतीबी अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री नारायण कुमावत
अप्रार्थीगणः–श्री डालुराम चौधरी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128
राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.06 13:54:37 IST
Reason: SelfAttested

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–19.01.2026

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128 राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 214 / 21.8530 है0 मौजा खुडाला पटवार मण्डल खुडाला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर हाल बालोतरा में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थीगण काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करते चले आ रहे है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार गुड़ामालानी के यहां प्रार्थना–पत्र पेश किया। जिस पर तहसीलदार गुड़ामालानी के आदेश दिनांक 30.05.2024 की पालना में दिनांक 01.06.2024 को पटवारी हल्का द्वारा उक्त आराजी का सीमांकन करवाया गया। परन्तु अप्रार्थीगण मौके पर असंतुष्ट होकर पैमाईश को नहीं मान रहे है तथा प्रार्थीगण की आराजी को अपनी आराजी में मिलाना चाहते है। अब प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी की पत्थरगढ़ी दिनांक 01.06.2024 की सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार कराना चाहते है। अंत में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी मुताबिक पैमाइश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 02 असालतन–वकालतन हाजिर न्यायालय हुए। शेष अप्रार्थीगण के बावजूद विधिवत तामील अनुपस्थित होने के कारण शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रकरण में अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 02 द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते आवेदन संख्या 2016 / 00109 के निर्णय तक हस्तगत प्रार्थना पत्र की कार्यवाही स्थिगित किये जाने का निवेदन किया गया। वर्तमान में उक्त प्रकरण निर्णित हो चुका है।

3. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी को बिन्दुवार विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट निर्धारित चैकलिस्ट में तैयार करने हेतु लिखा गया। जिसकी पालना में पटवार हल्का खुडाला ने दिनांक 07.08.2024 को मौके पर जाकर निर्धारित चैकलिस्ट में बिन्दुवार विस्तृत तथ्यात्मक तैयार कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की। न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाइश दिनांक 01.06.2024 के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है। दौराने बहस अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.06 13:54:37 IST
Reason: SelfAttested

उक्त खातेदारी आराजी में से अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा आराजी रकबा 60—00 बीघा भूमि जरिये पंजीकृत बयनामा क्रय की गई थी। तत्पश्चात् प्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी की तरमीम दुरूस्ती हेतु एक आवेदन संख्या 2016 / 00109 हाजा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण वर्तमान में वक्त खरीद से अपने—अपने कब्जे पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के वर्तमान कब्जा के अनुसार नेखमबंदी के आदेश प्रदान किये जाने का निवेदन है।

4. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***111. Decision of disputes as to boundaries.***—*(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

5. राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***128. Boundary disputes. -*** *All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*
> *Provided that applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.06 13:54:37 IST
Reason: SelfAttested

अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थीगण की सालिम खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश दिनांक 01.06.2024 से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार गुड़ामालानी के माध्यम से हल्का पटवारी से युक्त वर्णित आराजी की पैमाइश कराई जा चुकी है। सीमाज्ञान रिपोर्ट में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर मुस्तकिल बिन्दु मानकर सीमाज्ञान किया। मौके पर प्रार्थीगण को सीमाचिह्न बताकर प्रार्थीगण को संतुष्ट किया गया है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है। इस प्रकार प्रार्थीगण की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा—128 भू—राजस्व अधिनियम—1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। हाल आराजी खसरा संख्या 214/21.8530 है0 मौजा खुडाला पटवार मण्डल खुडाला तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर हाल बालोतरा पर प्रार्थीगण एवं संबंधित पक्षकारों/हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी कर सीमा निर्धारण किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 19.01.2026 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.06 13:54:37 IST
Reason: SelfAttested